

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

2017/00084

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / 91 / 2017

दायर दि0
फैसल दि0

श्री कल्याण/डीबी पाटीदार अनवान
बनाम भूमिधारी (तहसीलदार)
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री कल्याण/डीबी पाटीदार ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा कल्याण के खाता नम्बर 57 जमाबन्दी सं० 2070-73

में अंकित स्वयं/पिता का नाम कल्याण कल्याण
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर

रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम कल्याण
डीरजा है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम कल्याण
कल्याण दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।

प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम कल्याण/डीबी पाटीदार
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा कल्याण की जमाबन्दी संवत 2070-73
के खाता संख्या 57 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम कल्याण कल्याण पाटीदार में संशोधन कर सही नाम
कल्याण/डीबी पाटीदार दर्ज रेकार्ड किया जावे।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी

सागवाडा